

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीज/2024/212/2024


निमित्त-

दिनांक- 13/05/2024

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स.33/2024 अनवान कुलदीप चौधरी पिता बंदरीलाल चौधरी निवासी देवली, बनाम भूरा पिता रतन सुहार निवासी अमरवासी, अमित कुमार पिता घीसालाल मीणा निवासी अमरवासी, लोकेश कुमार पिता हीरालाल मीणा निवासी अमरवासी, इन्द्रा पत्नि घीसालाल मीणा निवासी अमरवासी, गोपी पिता देवी माली निवासी अमरवासी, गोपाल पिता देवी माली निवासी अमरवासी, छोटू पिता सूरजमल माली निवासी अमरवासी, जगदीश पिता सूरजमल माली निवासी अमरवासी, मस्तान पिता सूरजमल माली निवासी अमरवासी, शंकर पिता नौरत माली निवासी अमरवासी, किशनसिंह पिता मांगीलाल मीणा निवासी अमरवासी, खेमराज पिता मांगीलाल मीणा निवासी अमरवासी, तुलसीराम पिता मांगीलाल मीणा निवासी अमरवासी, हरकू पत्नि मांगीलाल मीणा निवासी अमरवासी, सत्यनारायण पिता रामकिशन मीणा निवासी अमरवासी, अंकित पिता रामकिशन मीणा निवासी अमरवासी, गीता पिता रामकिशन मीणा निवासी अमरवासी वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम अमरवासी प.ह. अमरवासी आराजी सं. 934/1,934/2 कुल कित्ता 02 रकबा 1.2104 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फॉर्म अचकाम
(नियम 26)

आज अवालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा


कुलदीप चौधरी पिता बवरीलाल चौधरी निवासी देवली, यंगरह
बनाम

भूरा पिता रतन लुहार निवासी अमरवासी यंगरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 2/2024

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अचकाम जो हुवम की समीक्षा में जारी हुये
13.05.2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाव जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम अमरवासी प.ह. अमरवासी आराजी सं. 934/1,934/2 कुल कित्ता 02 रकबा 1,2104 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जायें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम अमरवासी प.ह. अमरवासी आराजी सं. 934/1,934/2 कुल कित्ता 02 रकबा 1,2104 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जायें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा